# संस्कृत साहित्य में स्त्री विमर्श

संपादक

राधावल्लभ त्रिपाठी

आनन्दप्रकाश त्रिपाठी

नौनिहाल गौतम

Scanned by CamScanner

# संस्कृत साहित्य में स्त्री-विमर्श

संपादक
**राधावल्लभ त्रिपाठी**

सह संपादक
**आनन्दप्रकाश त्रिपाठी**
**नौनिहाल गौतम**

साहित्य अकादेमी

Scanned by CamScanner

**Sanskrit Sahitya Mein StheeVimarsha :** Proceedings of the national seminar held on 29-30 August 2015 at Sagar, organised by Sahitya Akademi with the collaboration of Dr. Harisingh Gour University, Sagar (M.P.) edited by Radhavallabha Tripathi, Anand Prakash Tripathi & Navnihal Goutham, Sahitya Akademi, New Delhi (2020) ₹ 250/-

कॉपीराइट © साहित्य अकादेमी 2020

राधावल्लभ त्रिपाठी (1949) : संपादक
आनन्दप्रकाश त्रिपाठी (1960) : सह संपादक
नौनिहाल गौतम (1984) : सह संपादक

विधा : संगोष्ठी आलेख
प्रकाशक : साहित्य अकादेमी

प्रथम संस्करण : 2020
मूल्य : दो सौ पचास

ISBN : 978-93-89778-90-8

Copyright © Sahitya Akademi 2020

Radha Vallabha Tripathi (1949): Editor
Anand Prakash Tripathi (1960): Editor
Navnihal Goutham (1984): Editor

Genre: Seminar Papers
Published by Sahitya Akademi

First Edition : 2020
Price : ₹ 250/-

*सर्वाधिकारः सुरक्षितः। अकादम्याः अनुमतिं विना छायाप्रतिः रिकॉर्डिंग इति वा केनापि अन्यसूचनाभण्डारणेन पुनःप्राप्तिप्रणाल्या च सह केनापि वैद्युता यान्त्रिकेन माध्यमेन वा कस्यापि अंशस्य पुनरुत्पादनमुपयोगः वा कर्तुं न शक्यते।*

**साहित्य अकादेमी**

**प्रधान कार्यालय :** रवींद्र भवन, 35, फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110 001
secretary@sahitya-akademi.gov.in, 011-23386626/27/28
**विक्रय अनुभाग :** 'स्वाति', मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110 001
sales@sahitya-akademi.gov.in, 011-23745297/23364204
**कोलकाता :** 4, देवेंद्रलाल ख़ान रोड, कोलकाता-700 025
rs.rok@sahitya-akademi.gov.in, 033-24191683/24191706
**चेन्नई :** मेन बिल्डिंग, गुना बिल्डिंग्स (द्वितीय तल), 443(304), अन्नासालइ, तेनामपेट, चेन्नई-600 018
chennaioffice@sahitya-akademi.gov.in, 044-24311741
**मुंबई :** 172, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय मार्ग, दादर, मुंबई-400 014
rs.rom@sahitya-akademi.gov.in, 022-224135744/24131948
**बेंगळूरु :** सेंट्रल कॉलेज परिसर, डॉ. बी. आर. आंबेडकर वीथी, बेंगळूरु-560 001
rs.rob@sahitya-akademi.gov.in, 080-22245152/22130870

शब्द-संयोजक : विकास कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स, ट्रोनिका सिटी, लोनी, ग़ाज़ियाबाद-201 102

मुद्रक : अडयार स्टूडेंट जेराक्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई

वेबसाइट : www.sahitya-akademi.gov.in

Scanned by CamScanner

# अनुक्रम


संपादकीय 5

1. संस्कृत वाङ्मय में स्त्री : वाद, प्रतिवाद तथा शेष प्रश्न 9
*राधावल्लभ त्रिपाठी*

2. स्त्री-विमर्श की वैदिक पृष्ठभूमि 40
*शशिप्रभा कुमार*

3. वैदिक साहित्य में स्त्री 51
*नौनिहाल गौतम*

4. वैदिक एवं वेदोत्तर संस्कृत साहित्य में स्त्री का आर्थिक पक्ष 63
*नागेश दुबे*

5. वैदिकसाहित्ये नारीवाचकशब्दानां वैशिष्ट्यम् 72
*किरण आर्या*

6. प्रमुख स्मृतियों में स्त्री-अधिकार 80
*अभिराज राजेंद्र मिश्र*

7. धर्मशास्त्रों में नारी : सामाजिक मान 96
*उमारानी त्रिपाठी*

8. धर्मशास्त्रों में स्त्री : शिक्षा, अधिकार और कर्त्तव्य 104
*रामहेत गौतम*

9. रामकथा और नारी विमर्श 113
*रहस बिहारी द्विवेदी*

10. वाल्मीकि रामायण में स्त्री 130
*धर्मेंद्र कुमार सिंहदेव*


Scanned by CamScanner

# धर्मशास्त्रों में स्त्री : शिक्षा, अधिकार और कर्त्तव्य

**रामहेत गौतम**

*तस्माच्छास्त्रे दृढा कार्या भक्तिर्मोक्षपरायणैः।*[1]

मुमुक्षु की भक्ति के समान शास्त्रनिष्ठा होनी चाहिए। अर्थात् जिस प्रकार मोक्ष चाहने वाला अपने साध्य की प्राप्ति के साधनों का प्रज्ञापूर्वक विवेक करता हुआ आत्मसातीकरण करता है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्रों का विवेकपूर्ण चिंतन करते हुए आत्सातीकरण करना चाहिए। जिससे उसका सर्वांङ्गीण व्यक्तित्व विकसित होकर आत्मकल्याण के साथ-साथ समस्त जीवजगत् के कल्याण में सहायक सिद्ध हो सके। अतः प्रत्येक पिता चाहता है कि उसकी संतान अच्छे शास्त्रों का चिंतन-मनन करे। हरिवंशपुराण में पुत्र की अडिग शास्त्ररुचि को देखकर प्रसन्न पिता के द्वारा कहा जाता है -

*त्वया दायादवानस्मि कृतार्थोऽमुत्र चेह च।*
*सत्पुत्रेण त्वया पुत्र धर्मज्ञेन विपश्चिता।।*[2]

(अर्थात् हे पुत्र! शास्त्र पर तुम्हारे अडिग विश्वास को देखकर मुझे पुत्रवान होने का फल मिल गया।)

समय-समय पर विविध प्रसंगों को आधार बनाकर अनेक शास्त्र सृजित हुए। धर्मशास्त्र भी इसी प्रकार के ग्रंथ हैं - जो मानवसमाज की धर्म में प्रवृत्ति की बात करते हैं। समाज स्त्री और पुरुष के संयोग से बनता है। समाज के नियंता व प्रेरक धर्मशास्त्रों का निर्माण प्रधानतः पुरुष के द्वारा ही हुआ है। अतः धर्मशास्त्रों में नियम पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के प्रति अधिक कठोर हैं जिससे स्त्री की दिशा और दशा बिगड़ती गई। आज संपूर्ण बुद्धिजीवी वर्ग स्त्री की दिशा और दशा को लेकर चिंतित है। आज के वैज्ञानिक युग में भी पुरुष प्रधान समाज के द्वारा धर्म के नाम पर कई



Scanned by CamScanner

अपरोक्ष नियम स्त्री को पुरुष के बराबर स्थापित होने में बाधक हैं। आज अप्रासंगिक हो चुके धर्मशास्त्रीय नियमों से स्त्री की मुक्ति के लिए बुद्धिजीवी लोगों के सतत् प्रयास के साथ-साथ प्राच्य संस्कृत धर्मशास्त्रों पर पुनः दृष्टिपात करने की आवश्यकता है।

मानव मात्र के कल्याण के भाव के साथ अस्तित्व में आया धर्म धर्मशास्त्रों में उपनिबद्ध हुआ। धर्मशास्त्रों का विकासक्रम जहाँ एक ओर व्यापक आकार लेता हुआ समस्त जगत को अपने संरक्षण में समेट रहा था तो वहीं अतिकठोर होती अनुशासन की कड़ियाँ वैचारिक प्रदूषण के कारण कुछ मानवों के अस्तित्व के संकट का कारण भी बनीं।

'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः'[3] 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।'[4] अर्थात् धर्म वही है जिससे आनंद एवं निःश्रेयस की सिद्धि होती है। आदिकाल से ही आनंद एवं निःश्रेयस की सिद्धि के दृष्टा-सृष्टा वेद रहे हैं। अतः कहा जाता है - 'वेदो धर्ममूलम्। तद्विदां च स्मृतिशीले।'[5] वेद दुरूह होने के कारण वेदों के सारभूत आपस्तंब, हिरण्यकेशी तथा बौधायन आदि धर्मसूत्र एवं मनु तथा याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ अस्तित्व में आईं।

धर्मशास्त्रानुसार पुत्र नरक से रक्षा करते हैं, पुत्र की जननी स्त्री ही है। पत्नी पति को धार्मिक कृत्यों के योग्य बनाती है। इस प्रकार स्त्री ही पुरुष की मुक्ति का साधन है। मनुस्मृति 9/28 के अनुसार भी पत्नी पर पुत्रोत्पत्ति, धार्मिक कृत्य, सेवा, सर्वोत्तम आनंद(परमानंद), अपने तथा अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति, निर्भर रहती है।

*अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा।*
*दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणामात्मनश्च ह।।*[6]

संतान को उत्पन्न करना, अग्निहोत्र यज्ञादि कार्य, पति-सास-श्वसुर आदि गुरुजनों की सेवा शुश्रुषा, श्रेष्ठ रति और पितरों का तथा अपना स्वर्ग ये सब स्त्रियों के अधीन हैं।

स्त्री के संयोग से ही समाज पूर्ण होता है। पितृऋण जैसे दायित्वों की पूर्ति के लिए स्त्री-पुरुष विवाह एक आवश्यक तथा आदर्श प्रक्रिया है। विवाह के साथ ही स्त्री की सामाजिक भूमिका और अधिक बढ़ जाती है।

## स्त्री शिक्षा

चरित्र निर्माण अहम पहलू है। संस्कृत जगत् में माना जाता है कि - वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अनिवार्य थी। कन्याओं का उपनयन संस्कार भी होता था। उपनयन



Scanned by CamScanner

संस्कार के बाद पर्याप्त वैदिक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएँ यज्ञादि करने के लिए स्वतंत्र ही नहीं, पूर्ण प्रशिक्षित एवं दक्ष होती थीं।[7] यह स्थिति ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य स्त्रियों की हो सकती है। शूद्र स्त्रियाँ तो शूद्र से भी बदतर स्थिति में थीं।

उस समय धार्मिक रीति-रिवाजों एवं संस्कारों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य हुआ करती थी। क्योंकि पत्नी के बिना पुरुष अपूर्ण माना जाता था। धार्मिक अनुष्ठान के समय पति-पत्नी दोनों संयुक्त रूप से देवस्तुति करते थे। पत्नीवंतो नमस्यं नमस्यनुः[8] प्रत्वा ततस्ते मिथुना अवस्यवः[9] तस्मात्पुरुषो जायां वित्त्वा कृत्स्नतरमिवात्मानं मन्यते।[10] अयज्ञीयो वैष नोऽपत्नीकः।[11] यज्ञफलस्वरूप स्वर्ग का भोग पति अकेले नहीं कर सकता; पत्नी को साथ ले जाना ही पड़ता है।[12] वाजपेयी यज्ञ में यज्ञीय यूप के सहारे स्वर्गारोहण करता हुआ पति पत्नी से कहता है 'आओ हम दोनों साथ-साथ स्वर्गारोहण करें।'[13]

कालांतर में स्त्री के वेदाध्ययन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है -

*आमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषतः।*
*संस्कारार्थे शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्।।*
*वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः।*
*पतिसेवा गुरौ वासो गृहस्थोऽग्निपरिक्रिया।।*
*अग्निहोत्रस्य शुश्रुषा सायमुद्वासमेव च।*
*कार्यं पत्न्या प्रतिदिनमिति कर्म च वैदिकम्।।*[14]

शरीर संस्कार के लिए पूर्वोक्त समय और क्रम से स्त्रियों के विवाह को छोड़कर सब संस्कारों को बिना मंत्र के ही करना चाहिए। स्त्रियों का विवाह संस्कार ही वैदिक संस्कार, पति सेवा, गुरुकुल निवास, गृहकार्य अग्निहोत्र कर्म कहा गया है। अतएव उनके लिए यज्ञोपवीत, गुरुकुल निवास, और अग्निहोत्र कर्म करने की शास्त्राज्ञा नहीं रही है। अग्निहोत्र की सेवा, सायंकाल पति के कार्यों में सहयोग स्त्रियों को प्रतिदिन करना चाहिए, यही उनका वैदिक धर्म है। इससे स्पष्ट होता है कि मनु के समय स्त्रियों से वैदिकशिक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। वेदाध्ययन के संबंध में उच्चवर्ग की स्त्रियों को भी शूद्र की श्रेणी में रखे जाने की बात की गई है।[15] विवाहेतर सभी संस्कारों में वेदमंत्रों के उच्चारण के समय स्त्री द्वारा वेदमंत्र उच्चारण करने से मना किया गया है। वैदिक मंत्रों में मंत्रोच्चार सिर्फ पति ही करता था।[16] पति विद्वान पत्नी विद्याहीन मानी जाती थी। यदि स्त्रियों को संस्कृत न जानने के कारण दुष्टोच्चारण अनिष्टकारक होने के भय के कारण वेद मंत्रों के उच्चारण से रोका जाता था तो प्रश्न उठता है कि संस्कृत ज्ञान के अभाव में उनके सम्मुख



Scanned by CamScanner

'भवति भिक्षां देहि'[17] जैसे वाक्यों का प्रयोग क्यों किया जाता था। इस शंका का समाधान देवण्ण भट्ट की स्मृति चंद्रिका में प्राप्त होता है। 12वीं शताब्दी के देवण्ण भट्ट ने स्मृतिचंद्रिका में उद्धृत किया है कि हारीतधर्मसूत्र आदि में स्त्रियों के दो प्रकार- 1 ब्रह्मवादिनी(ज्ञानिनी), 2 सद्योवधू(शीघ्र विवाह करने वाली) वर्णित किए गए हैं। ब्रह्मवादिनी के उपनयन, उसके द्वारा अग्नि सेवा किए जाने, उसके वेदाध्ययन तथा अपने घर में ही भिक्षाटन करने का उल्लेख किया है। गोभिलगृह्यसूत्र-2/1/19 के अनुसार लड़कियाँ उपनयन के रूप में यज्ञोपवीत धारण करती थीं। आश्वलायन गृह्य सूत्र-3/8 में स्त्री के समावर्तन संस्कार का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि–

*अनुलेपेन पाणौ प्रलिप्य मुखमग्र ब्राह्मणोऽनुलिम्पेत्।*
*बाहु राजन्यः उदरं वैश्यः उपस्थं स्त्री ऊरू सरणजीविनः।*[18]

अर्थात् अपने दोनों हाथों में लेप(उबटन) लगाकर ब्राह्मण अपने मुख को, क्षत्रिय अपनी दोनों बाहुओं को, वैश्य अपने पेट को, स्त्री अपने गर्भस्थान को तथा शरणजीवी अपनी जाँघों को लिप्त करें। संस्कार प्रकाश में हारीतधर्मसूत्र के उद्धरण के माध्यम से कहा है कि - 'प्राग्रजसः समावर्तनम् इति हारीतोक्त्या।'[19] रजस्वला धर्म (मासिक धर्म) चालू होने से पूर्व ही स्त्रियों का समावर्तन संस्कार हो जाता था। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। वे वेदों का अध्ययन करती थीं, वेदाध्ययन के उपरांत उनका समावर्तन संस्कार भी होता था। आश्वलायन गृह्यसूत्र- 3/4 में गार्गी, वाचक्वनी, वडवाप्रातिथेयी, सुलभा, मैत्रेयी आदि स्त्री शिक्षिकाओं के नामों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। गोभिल गृह्यसूत्र 2/1/19-20, काठक गृह्यसूत्र 25.23 में दुल्हनों द्वारा मंत्रोच्चार के वर्णन स्त्री शिक्षा के सूचक हैं। महाभाष्य पृ. 205, पाणिनि 4/1/14 वार्तिक 3 से भी प्रमाणित होता है कि आपिशलि का व्याकरण पढ़ने वाली ब्राह्मण नारी 'आपिशला', काशकृत्स्न का मीमांसा ग्रंथ पढ़ने वाली 'काशकृत्स्ना' कहलाती थी तथा 'औदमेध्या' नामक स्त्री शिक्षिका के शिष्य औदमेधाः कहलाते थे।[20] आश्वलायनगृह्यसूत्र -1/8/5 के अनुसार पति की अनुपस्थिति में स्त्रियाँ 'अग्नए स्वाहा', 'सूर्याय स्वाहा' जैसे मंत्रों के साथ गृहाग्नि की पूजा किया करती थीं। इससे स्पष्ट होता है कि मनु (200 ई. पू.) से पूर्व ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य स्त्री को वैदिक शिक्षा का पूर्ण अधिकार था जो मनु के समय छीन लिया गया था। मनु के समय में स्त्री से वेदाध्ययन का अधिकार छीनने का स्पष्ट कारण तो नहीं दिखता, परंतु संकेत अवश्य प्राप्त होता है कि उस समय स्त्रियाँ विश्वसनीयता खो चुकी थीं। स्त्रियाँ सिर्फ काम-वासना की पिटारी के रूप में नजर



Scanned by CamScanner

आने लगी थीं। शिष्य द्वारा गुरुपत्नी के चरणस्पर्श को निषिद्ध करते हुए मनु लिखते हैं -

*गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येत पादयोः।*
*पूर्णविंशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता।।*
*स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्।*
*अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः।।*
*अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः।*
*प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं कामक्रोधवशानुगम्।।*[21]

बीस वर्ष की अवस्था वाला युवक गुण-दोष का ज्ञाता शिष्य गुरु की युवती स्त्री के चरणों को स्पर्श कर अभिवादन न करे, सिर्फ मस्तिष्क झुकाकर प्रणाम करे। क्योंकि स्त्रियों का यह स्वभाव है कि इस जगत् में शृंगार चेष्टाओं के द्वारा मोहित कर पुरुषों में दूषण उत्पन्न कर देती हैं। अतएव विद्वान् पुरुष स्त्रियों के विषय में असावधानी नहीं करते। स्त्रियाँ काम, क्रोध के वशीभूत मूर्ख या विद्वान् पुरुषों को भी कुमार्ग में प्रवृत्त करने के लिए समर्थ होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बालिकाएँ बालकों के साथ बैठकर अध्ययन नहीं कर सकती थीं।

स्त्रियों को काम-वासना की पिटारी मात्र समझकर उससे शिक्षा का अधिकार या तो सीमित कर दिया गया या छीन लिया गया।

गौतम धर्मसूत्र में स्त्री के पतन के दो कारण गिनाए गए हैं - स्मृति काल में नारीशिक्षा की अधोगति के कई कारण रहे हैं जिनमें प्रमुखतः स्त्रियों के प्रति घोर अविश्वास रहा है, जिसकी सूचना मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोक से प्राप्त होती है-

*पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्।*
*स्वप्नश्चान्यगृहे वासो नारीणां दूषणानि षट्।।*[22]

मद्यपान, दुष्ट लोगों का सहवास, पति का विरह, इधर-उधर घूमना, दूसरों के घर में स्वप्न देखना(सोना) और निवास करना ये छः स्त्रियों के दूषण हैं।

*अनृतं साहसं माया मूर्खत्वमतिलोभता।*
*अशौचं निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः।।*[23]

झूठ बोलना, साहस (व्यभिचार), माया (छल), मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और कठोरता-ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष होते हैं।

स्मृतियाँ वेदों का सार कही जाती हैं और स्त्रीदलन का विकराल स्वरूप स्मृतियों में ही प्राप्त होता है। उसके बीज वेदों में प्राप्त होते हैं। जैसे - 'स्त्रिया



Scanned by CamScanner

अशास्यं मनः' अर्थात् 'स्त्रियों का मन संयम में नहीं रखा जा सकता'[24] 'न वै स्त्रैणानि सख्यानि संति सालावृकाणां हृदयान्येता।' अर्थात् स्त्रियों की मित्रता में सत्यता नहीं है उनके हृदय भेड़िया के हृदय हैं।[25] 'मधुविद्या पढ़ते समय स्त्री, शूद्र, कुत्ते एवं कौआ की ओर न देखे क्योंकि ये सभी असत्य हैं।'

इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्त्री के प्रति बढ़ते अविश्वास ने इसकी शिक्षा को छीना और अशिक्षा ने इस अविश्वास को पुष्ट किया।

किसी भी व्यक्ति या वर्ग की शैक्षणिक दिशा और दशा ही उसकी सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है।

## स्त्री के अधिकार

संस्कृत धर्मशास्त्रों में स्त्री को संपूर्ण संपत्ति का अधिकार देखने को नहीं मिलता है। स्त्री के व्यक्तिगत जीवन निर्वाह के लिए उपहार में प्राप्त धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार माना गया है।

धर्मशास्त्र स्त्री को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के पक्ष में दिखते हैं। विवाह आदि विभिन्न अवसरों पर उपहार के रूप में प्राप्त धन पर स्त्री के पूर्ण स्वामित्व प्रदान के पक्ष में महाराज मनु कहते हैं-

*स्त्रीधनानि तु ये माहादुपजीवन्ति बान्धवाः।*
*नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्।।*[26]

अर्थात् जो पति या उसके परिजन स्त्री के धन-दास, सवारी, वस्त्र, आभूषणादि को मोह में लेते हैं, वे पापी अधोगति को जाते हैं। स्त्रीधन के उत्तराधिकार के लिए पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

स्त्री के उत्तराधिकार के विषय में संस्कृत धर्मशास्त्रों में दो तरह के मत प्राप्त होते हैं। जहाँ एक ओर बौधायन और मनु का कहना है कि स्त्रियों को दायभाग का अधिकार नहीं है।[27] आपस्तम्ब, मनु, एवं नारद ने पुत्रहीन पुरुष की विधवा को उत्तराधिकारी नहीं माना है। किंतु गौतम 28/19 के अनुसार निःसंतान स्त्री भी सपिण्डों एवं सगोत्रों के समान ही संपत्ति की उत्तराधिकारी है।

याज्ञवल्क्य ने पुत्रहीन पुरुष की विधवा को प्रथम उत्तराधिकारी माना है। इससे स्पष्ट होता है कि स्मृति काल में विधवाओं के उत्तराधिकार कुछ मात्रा में सुरक्षित थे।

*पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा।*
*तत्सुता गोत्रजा बंधुशिष्यसब्रह्मचारिणः।।*



Scanned by CamScanner

*एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः।*
*स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः।।*[28]

जिस व्यक्ति के पूर्वोक्त बारह पुत्रों में से कोई भी न हो उस दिवंगत व्यक्ति के पुत्र न होने पर पत्नी, पुत्रियाँ, माता-पिता, भाई, भाईयों के पुत्र, गोत्र में उत्पन्न बंधु, शिष्य और ब्रह्मचारी में पूर्व-पूर्व के अभाव में बाद के क्रमशः उसकी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। यह नियम सभी वर्णों के लिए है।

## स्त्री के कर्त्तव्य

*सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया।*
*सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया।।*[29]

स्त्री को सर्वदा परिजनों के रोष में होने पर भी प्रसन्न, गृहकार्यों में चतुर, घर के बर्तन आदि को शुद्ध एवं स्वच्छ रखने वाली और अधिक व्यय न करने वाली होना चाहिए।

*अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैवं नियोजयेत्।*
*शौचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे।।*[30]

पिता, पति या पुत्रादि अभिभावक उस स्त्री को धन के संग्रह, व्यय, वस्तु तथा पदार्थों की शुद्धि, पति तथा अग्नि की सेवा, घर तथा घर के बर्तन आदि की सफाई में नियुक्त करें।

याज्ञवल्क्य स्मृति 1/83 एवं 87 के अनुसार पत्नी के कर्त्तव्य हैं - घर के बर्तन, कुर्सी आदि को उसके उचित स्थान पर रखना, गृहकार्यदक्ष होना, हँसमुख रहना, मितव्ययी होना, पति के मन के अनुकूल कार्य करना, श्वशुर एवं सास के पैर दबाना, सुंदर ढंग से चलना, फिरना एवं अपनी इन्द्रियों को वश में रखना। स्त्री का प्रमुख कर्त्तव्य है - पति सेवा, व्रत, उपवास तथा नियम आदि अन्य कार्य वह बिना पति की आज्ञा के नहीं कर सकती[31]।

## स्त्री के लिए निषिद्ध कर्म

'नानुक्ता गृहान्निर्गच्छेत्। नानुत्तरीया। न त्वरितं व्रजेत्। न परपुरुष- मभिभाषेतान्यत्र वणिक्प्रव्रजित- वृद्धवैद्येभ्यः। न नाभिं दर्शयेत्। आ गुल्फाद्वासः परिदध्यात्। न स्तनौ वितो कुर्यात्। न हसेदनपावृता। भर्तारं तद्‌बंधून्वा न द्विष्यात्। न गणिका-धूर्ताभिसारिणी-प्रव्रजिताप्रक्षणिकामायामूलकुहककारिकादुःशीलादिभिःसहैकत्र तिष्ठेत्। संसर्गेण हि



Scanned by CamScanner

कुलस्त्रीणां चारित्र्यं दुष्यति।'[32] पति या बड़ों की आज्ञा के बिना घर से बाहर न जाना, उत्तरीय ओढ़े बिना बाहर न जाना, तेज न चलना, व्यापारी, संन्यासी, बूढ़े आदमी या वैद्य के अतिरिक्त किसी अन्य अपरिचित पुरुष से बात न करना, नाभि न दिखाना, एड़ी तक साड़ी पहनना, कुच न दिखाना, हँसते समय हाथ या वस्त्र से मुँह ढँकना, अपने पति एवं परिजनों से घृणा न करना, गणिका, अभिसारिका, जुआ खेलने वाली, साधुनी, भविष्य कहने वाली, जादू-टोना एवं गुप्त क्रिया करने वाली, दुश्चरिता स्त्री से मेलजोल नहीं रखना चाहिए क्योंकि विज्ञजनों ने कहा है कि अच्छे घर की स्त्री भी दुश्चरित्रों के साथ से बिगड़ सकती है।

संस्कृत धर्मशास्त्रों का स्त्री के संदर्भ में चिंतन-मनन करने से निष्कर्ष निकलता है कि धर्मशास्त्र सदियों से समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नियमों का संग्रह हैं। ये नियम पुरुष के अधिक पक्षपाती हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते समाज के साथ धर्मशास्त्रों में अपेक्षित बदलाव नहीं होने के कारण समाज में विसंगति के कारण स्त्री की दिशा और दशा दोनों बिगड़ती गई। जहाँ वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अनिवार्य थी वह स्मृतिकाल में सीमित अथवा प्रतिबंधित हो जाती है। परिणामस्वरूप स्त्री के धार्मिक अधिकार भी छिन जाते हैं। स्त्री पुरुषाश्रिता बनकर रह जाती है। स्त्री स्वविवेक की अपेक्षा पुरुष विवेक ही उसका विवेक हो जाता है। अर्धांगिनी दासी हो जाती है। धर्मशास्त्री मौन होकर स्त्री की दुर्दशा को देखते रहते हैं। 'चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः' सिद्ध हो रही है। स्त्री अब पुनः उन्नति कर रही है। वह पुरुषप्रधान मानसिकता को चुनौती दे रही है। अतः आज धर्मशास्त्रों का तीखा विरोध हो रहा है। लोग जान चुक हैं कि धर्मशास्त्रों की आड़ में स्त्री का दमन अनुचित है। आज की आवश्यकता है कि धर्मशास्त्रों के दोषपूर्ण नियमों को उपेक्षित कर मानवमात्र के सर्वांगीण विकास में साधक निर्पेक्ष नियमों का पालन एवं प्रचार प्रसार किया जाए। 'जगद्धिताय धर्मचक्रो प्रवर्तितव्यः'।

**संदर्भ :**


1. शाण्डिल्यस्मृति-4/194
2. हरिवंशपुराण-1/16/23
3. मीमांसा दर्शन
4. वैशेषिकसूत्र(कणाद)
5. गौतमधर्मसूत्र-1/1/2
6. मनुस्मृति 9/28




Scanned by CamScanner

7. भारतीय संस्कृति में नारी-अध्याय-4, पृ. 167 ,परिमलपब्लिकेशन 27/28, शक्तिनगर दिल्ली-11007 प्रथम संस्करण 1991
8. ऋग्वेद-1.72.5,
9. ऋग्वेद-1.133.3
10. ऐतरेय ब्राह्मण- 1.2.5
11. शतपथ ब्राह्मण--5.1.6.10
12. शतपथ ब्राह्मण--5.2.1.8
13. शतपथ ब्राह्मण--5.2.1.10
14. मनुस्मृति- 2/66-68
15. गौतमस्मृति-18/1, वशिष्ठधर्मसूत्र-6/1, बौधायनधर्मसूत्र 2/2/45, मनुस्मृति-9/2
16. जैमिनीधर्मसूत्र- 6/1/17.21
17. मनुस्मृति- 2/49
18. आश्वलायनगृह्यसूत्र-3/8/2
19. संस्कारप्रकाश - पृ. 404
20. धर्मशास्त्र का इतिहास - अध्ययन का अधिकार पृ. 249
21. मनुस्मृति - 2/212-214
22. मनुस्मृति - 9/13
23. चाणक्यनीति-2/1
24. ऋग्वेद- 8/33/17
25. ऋग्वेद- 10/95/15
26. मनुस्मृति - 3.52
27. निरिन्द्रिया अदायाश्च स्त्रियो मता इति श्रुतिः। बौधायनधर्मसूत्र-2/2/53
नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मे व्यवस्थितिः।
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः।। मनुस्मृति-9/18
28. याज्ञवल्क्यस्मृति- 2/135-136
29. मनुस्मृति 5/150
30. मनृस्मृति-9/11
31. हेमाद्रि, व्रतखण्ड 1, पृ. 362
32. शंखलिखित (स्मृतिचन्द्रिका-व्यवहार,पृ. 249-250, याज्ञवल्क्य स्मृति 1/87 के संदर्भ से धर्मशास्त्र का इतिहास पृ. 319 पर उद्धृत।



Scanned by CamScanner